m0iz0 jkT; vkS|kfud lgdkjh foi.ku la?k ¼gkSQsM½ }kjk lapkfyr dk;ZØe

- ✓ vke] vkyw ,oa vU; vkS|kfud mRiknksa dk vkS|kfud lgdkjh lfefr;ksa ds ek/;e ls foi.ku izksRlkgu
- ✓ foi.ku ,oa fu;kZr izksRlkgu gsrq dk;ZØe
- ✓ d`f"k fuos'k ¼lCth] e'kkyk ,oa iq"i cht rFkk tSo moZjd½ vkiwfrZ ;kstuk
- ✓ QkeZ *vkS* ¼vf/kdkj i=½ miyC/k djkuk
- ✓ gkSQsM dh lnL;rk

vke] vky ,o vU; vk|kfud mRiknksa dk vk|kfud lgdkjh lfefr;ksa d ek/;e l foi.ku ikRlkgu

1- iLrkouk & हाफेड द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उत्पादित विभिन्न औद्यानिक उत्पादों यथा आम, आलू, अमरूद, आंवला, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, भिण्डी, हरी मटर आदि के प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न मण्डियों एवं क्रेता एजेन्सियों/निर्यातक एजेन्सियों के साथ सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर विपणन प्रोत्साहन का कार्य किया जाना है जिसके अन्तर्गत हाफेड द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थित औद्यानिक उत्पादन बाहुल्य समितियों/क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जायेगा। तद्क्रम में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की विभिन्न मण्डियों में उत्पाद विशेष की प्रचलित दैनिक मण्डी भाव के दृष्टिगत समितियों के क्षेत्र विशेष से मंडियों में आपूर्ति/विपणन कार्य संपादन कराया जायेगा, जिससे हाफेड से सम्बद्ध औद्यानिक समितियों को उनके उत्पाद, विपणन हेतु मार्केट मिल सके साथ ही वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकेंगी।

2- mn~n'; &

(1) औद्यानिक समितियों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु मार्केट उपलब्ध कराना।
(2) उत्पादकों को गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु प्रेरित करना।
(3) समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ करते हुए आत्मनिर्भर बनाना।

3- fd;kUo;u – प्रदेश में उत्पादित औद्यानिक उत्पादों के विपणन का कार्य औद्यानिक सहकारी समिति के माध्यम से कराए जाने का निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा लिया गया है एवं प्रदेश से बाहर स्थित विभिन्न क्रेता एजेन्सियों/निर्यातकों से सम्पर्क /समन्वय स्थापित कर समितियों का अनुबन्ध आधारित टाइअप कराया जाना है जिससे समितियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु एक व्यापक बाजार एवं मंच उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रक्रिया में हाफेड द्वारा अपनी भूमिका के सापेक्ष औद्यानिक सहकारी समितियों एवं क्रेता एजेन्सियों से अनुबन्ध कराते हुए सेवाशुल्क प्राप्त किया जायेगा जिससे हाफेड द्वारा समितियों के विपणन/आपूर्ति के दौरान अपने स्टाफ की मौजूदगी/अन्य संबंधित व्यय आदि के एवज में हाफेड को आंशिक लाभ/आय प्राप्त हो सकेगी।

1- सर्वप्रथम हाफेड द्वारा प्रदेश भर में पंजीकृत/गठित एवं हाफेड की सदस्यता प्राप्त उत्पादन बाहुल्य औद्यानिक सहकारी समितियों का जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय का सहयोग प्राप्त करते हुए एवं समिति की इच्छानुसार विपणन हेतु सक्षम समिति का चिन्हांकन/चयन किया जायेगा।

2- हाफेड द्वारा इन चयनित समितियों के साथ विपणन प्रोत्साहन के सन्दर्भ में अपनी सहयोगात्मक/मार्गदर्शक भूमिका के सापेक्ष परस्पर सहमति पर लिखित अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित किया जायेगा जिस पर विपणन प्रोत्साहन के सन्दर्भ में विभिन्न नियम व शर्तों के साथ हाफेड द्वारा प्राप्त किया जाने वाला निर्धारित सेवा शुल्क का भी उल्लेख होगा। हाफेड द्वारा समिति के साथ अनुबन्ध के अन्तर्गत एक निर्धारित 'सिक्योरिटी मनी' डिपाजिट कराये जाने का प्राविधान भी किया गया है जिससे समिति द्वारा विपणन के उपरान्त अनुबन्ध में तय नियम व शर्तों के अनुरूप देय सेवाशुल्क का हाफेड को भुगतान न किये जाने पर हाफेड द्वारा उक्त डिपाजिट सिक्योरिटी मनी से देय सेवाशुल्क का समायोजन किया जा सके।

हाफेड द्वारा समिति के साथ प्रस्तावित विपणन कार्य हेतु मुख्यतः नियम/शर्तें इस प्रकार है :–

(1) औद्यानिक सहकारी समिति विपणन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने में सक्षम हो।
(2) औद्यानिक सहकारी समिति द्वारा मंडी में विपणन कार्य हेतु लाईसेन्स प्राप्त किया जाना।
(3) प्रस्तवित विपणन कार्य में उत्पादों की आपूर्ति हेतु परिवहन मद को छोड़कर शेष व्यय समिति द्वारा किया जायेगा।

(4) इच्छुक औद्यानिक सहकारी समिति के पास उत्पाद विशेष के विपणन हेतु सहमति एवं क्षेत्र में उत्पाद विशेष की पर्याप्त उपलब्धता होना आवश्यक है।

3- हाफेड द्वारा प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न मण्डियों में आढ़ती/ट्रेडर्स से सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर मण्डियों में दैनिक प्रचलित दरों का आंकलन/मूल्यांकन करते हुए विपणन हेतु अनुकूल स्थिति होने पर समितियों से आपूर्ति कराने का प्रयास किया जायेगा। उक्त के क्रम में यदि संभव हुआ तो क्रेता आढ़ती/ट्रेडर्स के साथ आपूर्तिकर्ता समिति एवं हाफेड का भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा जिससे कि समिति द्वारा आपूर्ति किये गये के सापेक्ष नियमानुसार समस्त भुगतान आढ़ती/ट्रेडर्स से उसे समयानुसार प्राप्त हो सके एवं हाफेड को भी उक्त आढ़ती/ट्रेडर्स से अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप निर्धारित सेवा शुल्क प्राप्त हो सके।

4. प्रस्तावित विपणन प्रक्रिया में उपार्जन से लेकर मण्डी/क्रेता एजेन्सी के पास आपूर्ति तक समस्त व्यय औद्यानिक समिति द्वारा ही वहन किया जाना होगा। हाफेड की भूमिका मात्र सहयोगी/मार्गदर्शक एवं प्रोत्साहक की होगी। इस विपणन प्रक्रिया में हाफेड द्वारा मात्र प्रस्तावानुसार विपणन प्रोत्साहन हेतु इच्छुक/अनुबन्धित समिति हेतु विपणन/उत्पाद आपूर्ति के दौरान परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने पर अपनी ओर से धनराशि का निवेश किया जायेगा। जिसका कि समिति द्वारा विपणन के दौरान किये गये सम्पूर्ण व्यय की गणना में सम्मिलित किया जायेगा। अतः हाफेड द्वारा परिवहन व्यवस्था पर किये गये व्यय के वापिसी के उपरान्त ही समिति के शुद्ध लाभ की गणना की जानी होगी। उक्त के अतिरिक्त हाफेड द्वारा अपने स्टाफ के भ्रमण एवं अन्य प्रशासनिक मदों पर भी व्यय किया जाना होगा।

5- उक्त प्रस्तावित विपणन प्रक्रिया में समिति को हुए शुद्ध लाभ में से हाफेड को सेवाशुल्क के रूप में 5 प्रतिशत धनराशि भुगतान किया जाना होगा। समिति द्वारा विपणन कार्य के दौरान हाफेड लोगो का प्रयोग किया जायेगा।

प्रबन्ध समिति द्वारा निम्न उत्पादों के विपणन का लक्ष्य वर्ष 2016–17 के लिए रखा गया है :–

क्र0 सं0	औद्या–निक उत्पाद	प्रस्तावित बिक्री लक्ष्य (कु0 में)	अनुमानित बिक्री दर प्रति कुं0	कुल बिक्री धनराशि	समितियों को प्राप्त लाभ 20 प्रतिशत आधार पर (रू0 में)	हाफेड का समितियों के लाभ का 5 प्रतिशत आधार पर सेवा शुल्क (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	आम	1000	3000	3000000	600000	30000
2	आलू	10000	1000	10000000	2000000	100000
3	प्याज	10000	2000	20000000	4000000	200000
4	अमरूद	500	2000	1000000	200000	10000
5	आंवला	500	1200	600000	120000	6000
6	अन्य सब्जियां	10000	2000	20000000	4000000	200000
					;kx	5]46]000

शब्दों – पांच लाख छियालिस हजार मात्र

उक्त प्रस्तावित क्रियाकलाप में प्याज से संबंधित विपणन चयनित/इच्छुक औद्यानिक सहकारी समिति के माध्यम से नासिक (लासलगांव) क्षेत्र में उपार्जित/क्रय कर वहीं पर भंडारित कराया जाना प्रस्तावित है। तद्क्रम में प्रदेश में प्याज की आवक कम होने के समय भण्डारित प्याज का प्रदेश में लाकर मंडियों/फुटकर विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन कराया जायेगा।

foi.ku ,o fu;kr ikRlkgu gr dk;de

प्रदेश में औद्यानिक फसलों यथा–फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं संगन्ध फसलें, मशरूम एवं शहद के उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं। प्रदेश की आबादी का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है जिसमें लगभग 90 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक है। औद्यानिक फसलों के उत्पादन से इन लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि के साथ–साथ इन फसलों के उत्पादन में एवं उत्पादन के उपरान्त होने वाली क्रियाकलापों यथा–विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

vk|kfud fodkl dh iep[k ck/kk; %&

प्रदेश के कृषकों में औद्यानिक फसलों के उत्पादन के प्रति लगातार अभिरूचि बढ़ रही है एवं प्रदेश में औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकताओं में वृद्धि हो रही है तथापि औद्यानिक विकास को अपेक्षित गति प्रदान किये जाने एवं उनसे कृषकों को अपेक्षित आय प्राप्त कराने में निम्नानुसार बाधायें परिलक्षित हो रही है :–

1– तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन की जानकारी न होना।
2– कृषको को उनकी उपज का सही मूल्य न मिलना।
3– बाजार की जानकारी न होना।
4– प्रसंस्करण एवं निर्यात योग्य उत्पादन न होना।
5– ग्राम स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों का उपलब्ध न होना।
6– कृषकों में उत्पादन एवं तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन की तकनीकियों का अभाव तथा विपणन की ढांचागत सुविधाओं की कमी होना।
7– औद्यानिक उत्पादों के निर्यात एवं उनके विपणन को प्रोत्साहन हेतु किसी योजना का क्रियान्वयन न होना।
8– प्रदेश में प्रसंस्करण इकाईयों का संगठित रूप से विकास न होना।
9– निर्यात योग्य गुणवत्ता युक्तउत्पादन न होना।

mnn' ; %&

1– तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन की जानकारी उपलब्ध कराना।
2– कृषको को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना।
3– बाजार की जानकारी उपलब्ध कराना।
4– प्रसंस्करण एवं निर्यात योग्य उत्पादन करने हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
5– कृषकों में उत्पादन एवं तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन की तकनीकियों तथा विपणन की ढांचागत सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
6– प्रदेश में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की जानकारी उपलब्ध कराना।
7– प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में अपनायी जाने वाली नवीन तकनीक की जानकारी एवं अपनाने हेतु प्रेरित करना।
8– निर्यात योग्य गुणवत्ता युक्त उत्पादन कराना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विपणन एवं निर्यात के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार/भारत सरकार एवं सहयोगी संथाओं से वित्त पोषित कार्यक्रमों का संचालन किया

जायेगा। इसके लिए निम्न कार्यक्रमों हेतु संबंधित संस्थाओं को वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जायेगें–

1- ckxokuh Qly rMkbl mijkUr icU/ku ij ,d fnolh; if'k{k.k&
   प्रदेश के जनपदों मे फसल बाहुल्यता के आधार पर – फल, सब्जी, मसाला एवं फूलों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित कराये जायेगे जिसमें प्रति कार्यक्रम 50 लाभार्थी लाभान्वित होगें।
2- lfefr;k d inkf/kdkfj;k gr urRo if'k{k.k
   यह कार्यक्रम इन्दिरा गांधी सहकारी प्रबन्ध संस्थान लखनऊ के माध्यम से निशुल्क आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2016–17 में कुल 25 समितियों के पदाधिकारियों को समिति संचालन हेतु प्रशिक्षित होगें।
3- ikVVk ck;j lyj ehV
   प्रदेश में उत्पादित आलू को अन्य प्रदेशों में स्थाति करने के उद्‌देश्य से पोटेटो बायर सेलर मीट का आयोजन किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश के प्रगतिशील आलू उत्पादक एवं आलू क्रेता तथा निर्यातक भाग लेगें।
4- exk ck;j lyj ehV@ck.M iek'ku
   प्रदेश में उत्पादित आम को अन्य प्रदेशों में स्थाति करने के उद्‌देश्य से आम बायर सेलर मीट का आयोजन किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश के प्रगतिशील आम उत्पादक एवं आम क्रेता तथा निर्यातक भाग लेगें।
5- vU; mRiknk ij ck;j lyj ehV
   प्रदेश में उत्पादित मेंथा एवं पुष्प को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बायर सेलर मीट का आयोजन किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश के प्रगतिशील मेंथा एवं पुष्प उत्पादक एवं मेंथा एवं पुष्प क्रेता, निर्यातक भाग लेगें।
6- d"kd ,Dlikt j foftV
   प्रदेश के प्रगतिशील उत्पादकों को अन्य प्रदेशों में फल, सब्जी एवं मसाला आदि के उत्पादन में अपनाई जा रही नवीन तकनीक को दिखाने एवं अपनाने हेतु प्रेरित करने के उद्‌देश्य से भ्रमण कराया जायेगा।
7- exk ikLV gkoLV bUQkLVDpj lfo/kkvk dk forj.k
   आम निर्यात प्रोत्साहन हेतु आम उत्पादको को प्लास्टिक क्रेटस, डिसेपिंग ट्रे एवं हार्वेस्टर 75 प्रतिशत अनुदान पर वितरण कराया जायेगा। जिसमें 25 प्रतिशत व्यय का वहन चयनित लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
8- jkT; Lrjh; nk fnolh; dk;l'kkyk@lfeukj
   प्रदेश में पंजीकृत औद्यानिक सहकारी समितियों को बागवानी विकास की योजनाओं एवं बागवानी फसलों के प्रसंस्करण एवं विपणन सुविधाओं के विकास हेतु योजनाओं में उपलब्ध सुविधायों की जानकारी उपलग्धकरायी जायेगी।
9- foi.ku gr <kpkxr lfo/kkvk d fodkl gr miyC/k vunku lfo/kkvk dk ilkj
   बागवानी विकास मिशन तथा नेशनल वेजिटेबिल इनिसिएटिव योजनाओं के अन्तर्गत बागवानी तथा प्रसंस्करण उत्पादों के विपणन हेतु ढांचागत सुविधाओं का विकास करने के लिए लाभार्थियों हेतु अनुदान की सुविधायें उपलब्ध है। इन कार्यक्रमों से औद्यानिक सहकारी समितियों को जागरूक करते हुए उनके प्रस्ताव तैयार कराकर वित्त पोषण कराया जाना प्रस्तावित है। इसमें हॉफेड द्वारा फसिलिटेटर की भूमिका निभाते हुए प्रदेश में विपणन की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

नोट– उपरोक्त प्रस्तावों के सापेक्ष संबंधित विभागों से वित्तीय सहयोग प्राप्त होने के उपरान्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

df"k fuo'k ¼lCth] e'kkyk ,o i"i cht rFkk to moljd½ vkifrl ;ktuk

mn~n';& प्रदेश में पंजीकृत औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश (सब्जी, मशाला, पुष्प बीज एवं जैव उर्वरक) को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना –

gkQM dh Hkfedk– हाफेड द्वारा प्रतिष्ठित गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश आपूर्तिकर्ता कम्पनियों को अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयन किया जायेगा। औद्यानिक समिति एवं प्रदाय –कर्ता तथा हाफेड के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा। हाफेड द्वारा मात्र अनुबन्ध कराने, आपूर्ति सुनिश्चित करने सम्बंधी कार्य किया जायेगा। इसके लिए कुल व्यवसाय में 5 प्रतिशत की कम से कम हिस्सेदारी होगी।

lfefr dh Hkfedk& समिति द्वारा कृषि निवेश आपूर्ति हेतु नियमानुसार व्यापार हेतु लाइसेंस प्राप्त किया जाना होगा तथा उद्यान परिसर में स्थान/फुटकर केन्द्र उपलब्ध होने पर विक्रय केन्द्रों को संचालित किया जायेगा, यदि उद्यान परिसर में स्थान नहीं उपलब्ध हो पाता है तो समिति द्वारा स्वयं विक्रय केन्द्र हेतु स्थान/दुकान की व्यवस्था करते हुए केन्द्र संचालित किया जायेगा। समिति द्वारा किसी भी माध्यम से प्राप्त कृषि निवेश की मॉग से हाफेड को अवगत कराया जायेगा तथा हाफेड द्वारा अनुबंधित आपूर्तिकर्ता के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। समिति द्वारा रू0 10,000/– की धनराशि सिक्योरिटी रूप में हाफेड के पास जमा की जायेगी।

tuin dk p;u&सब्जी, पुष्प, मशाला उत्पादन क्षेत्र एवं बीज की मॉग एवं उद्यान विभाग द्वारा विभागीय परिसर में कक्ष/स्थान की उपलब्धता या अन्य स्थान जो समिति के लिए उपयुक्त हो समिति की क्रियाशीलता को दृष्टिगत करते हुए किया जायेगा।

lfefr dk p;u& प्राथमिक औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियों का चयन हाफेड के जिला प्रबन्धक/जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से तथा इच्छुक समितियों में से किया जायेगा। चयन हेतु निम्न मापदण्ड होंगे–:

1. समिति हाफेड की सदस्य होगी।
2. समिति द्वारा कृषि निवेश आपूर्ति का कार्य पूर्व से किया जा रहा होगा।
3. समिति द्वारा व्यवसाय से सम्बन्धित सूचना त्रैमासिक रूप से जिला प्रबन्धक अथवा सीधे हाफेड कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. समिति के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु स्थायी रूप से नियुक्त सचिव को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. समिति की पिछले 03 वर्ष की आडिटेड बैलेंस शीट होनी चाहिए।
6. समिति का वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम रू0 30 लाख होना चाहिए।
7. समिति के पास कृषि निवेश की आपूर्ति हेतु कार्यशील पूॅजी की व्यवस्था होनी चाहिए।

fd;kUo;u ifd;k&

प्रथम चरण में 200 औद्यानिक सहकारी समितियों का निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्ड के आधार पर चयन किया जायेगा, जिनको हाफेड द्वारा अपना लोगो प्रदान किया जायेगा, हाफेड तथा औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति तथा निवेश आपूर्तिकर्ता फर्म के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार समिति द्वारा अपनी निवेश की मॉग आपूर्तिकर्ता फर्म को उपलब्ध करायी जायेगी जिसके अनुरूप फर्म द्वारा समिति के विक्रय केन्द्र पर निवेश की आपूर्ति करते हुए

तद्विषयक भुगतान प्राप्त किया जायेगा। इसकी सूचना हाफेड को भी उपलब्ध करायी जायेगी। समिति द्वारा कृषि निवेश का विक्रय फर्म द्वारा निर्धारित दर पर किसानों एवं सदस्य सदस्यों को किया जायेगा। इस व्यवसाय में फर्म द्वारा समिति को जो मार्जिन दिया जायेगा उसमें हाफेड एवं समिति की हिस्सेदारी होगी।

lfefr dh Hkfedk&

चयनित औद्यानिक सहकारी समिति द्वारा कृषि निवेश व्यवसाय करने हेतु पूँजी, विक्रय केन्द्र हेतु आवश्यक सामग्री इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी।

fd;kUo;u fufr&

हाफेड द्वारा चयनित समितियों को, चयनित निवेश आपूर्ति कम्पनी के माध्यम से निवेश की आपूर्ति मॉग के अनुरूप की जायेगी। आपूर्ति प्रक्रिया हेतु हाफेड द्वारा अपेक्षित दिशा – निर्देश तैयार किया जायेगा। समिति द्वारा निवेश विक्रय करने के उपरान्त अपेक्षित धनराशि कम्पनी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कम्पनी द्वारा त्रैमासिक आधार पर, निर्धारित वितरण मार्जिन, हाफेड के पक्ष में भुगतान किया जायेगा। इस योजना के सम्पादन हेतु हाफेड द्वारा समय–समय पर विक्रय केन्द्र, औद्यानिक समिति तथा आपूर्तिकर्ता से समन्वय करते हुये कार्य किया जायेगा।

Qkel *vk* ¼vf/kdkj i=½ miyC/k djkuk

उ0प्र0 शासन के द्वारा यू0पी0 एग्रो, उ0प्र0 गन्ना संघ एवं पी0सी0एफ0 आदि की भॉति हाफेड को भी उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों के वितरण हेतु शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में नामित किया गया है। हाफेड द्वारा औद्यानिक सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक आपूर्ति कराने हेतु देश में सहकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठित उर्वरक प्रदायकर्ता संस्था कृभको के माध्यम से थोक व्यवसाय हेतु फार्म ''ओ'' (अधिकार पत्र) प्राप्त किया गया है, जिसके आधार पर हाफेड द्वारा औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियों को उर्वरकों के फुटकर व्यवसाय हेतु सुरक्षा धनराशि जमा कराने के पश्चात फार्म ''ओ'' (अधिकार पत्र) निर्गत किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान समय तक 899 औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियॉ एवं 11 जिला औद्यानिक सहकारी संघ पंजीकृत है, जिनमें से 501 समितियों द्वारा हाफेड की सदस्यता ग्रहण की गयी है तथा 499 औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियों द्वारा हाफेड से फार्म ''ओ'' (अधिकार पत्र) प्राप्त कर फुटकर उर्वरक व्यवसाय किया जा रहा है।

mnns';&

हाफेड द्वारा औद्यानिक सहकारी समितियों के माध्यम से समिति सदस्यों को रसायनिक उर्वरकों की आपूर्ति कराने हेतु कृभको का फार्म ''ओ'' (अधिकार पत्र) निर्गत करना। औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियों द्वारा फार्म ''ओ'' (अधिकार पत्र) प्राप्त करने हेतु निर्धारित औपचारिकताए एवं आवेदन पत्र प्रारूप निम्नानुसार है :–

1- dHkdk molj d dh vkifr gr vf/kdkj&i= ikIr djus gr vko';d ii= ,o vkipkfjdrk,

अ– अधिकार–पत्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध–पत्र

ब– अधिकार–पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन

स– औद्यानिक सहकारी समिति के एकाउण्ट का नवीनतम तिथि का बैंक स्टेटमेंट (समिति खाते में समिति सदस्यों का अंशदान एवं सदस्यता शुल्क परिलक्षित हो)

द– जमानत राशि रू0 5,000 की धनराशि हाफेड में देय होगी।

य– हाफेड की साधारण सदस्यता शुल्क रू0 1,100.00 जमा करने विषयक प्राप्ति रसीद।

नोटः– साधारण सदस्यता एवं जमानत धनराशि नकद अथवा (ड्राफ्ट उ0 प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ) के माध्यम से जमा की जायेगी।

2& molj d vf/kdkj&i= uohuhdj.k gr vko';d ii= ,o vkipkfjdrk,

अ– अधिकार–पत्र नवीनीकरण करने हेतु अनुरोध–पत्र

ब– पूर्व में प्राप्त अधिकार–पत्र की छायाप्रति

स– जमानत राशि एवं साधारण सदस्यता शुल्क जमा रसीद की छायाप्रति।

द– औद्यानिक सहकारी समिति एकाउण्ट का नवीनतम तिथि का बैंक स्टेटमेंट।

य– पूर्व में प्राप्त उर्वरक की स्थिति एवं आगामी सीजन में उर्वरक की मॅाग का विवरण।

र– कार्यकारिणी बैठक की सहमति (लेटर पैड पर होना चाहिए)।

lfefr dh Hkfedk& समिति द्वारा हाफेड से फार्म ओ प्राप्त कर फुटकर विक्रय केन्द्र हेतु लाइसेंस प्राप्त करते हुए फुटकर विक्रय केन्द्र का संचालन अपने व्यय पर किया जायेगा तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार अनुबन्ध के आधार पर वितरण मार्जिन हाफेड को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उर्वरक मांग एवं अन्य अपेक्षित सूचनाए हाफेड को उपलब्ध करायी जायेगी।

gkQM dh Hkfedk& हाफेड द्वारा समितियों को फार्म ओ उपलब्ध कराते हुए, उर्वरक की आपूर्ति प्रदायकर्ता के माध्यम से कराने हेतु कृषि निदेशालय, उ0प्र0 के अपेक्षानुसार उर्वरक लक्ष्य आवंटन कराया जायेगा तथा आवंटित लक्ष्य के अनुरूप समितियों को उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु समन्वय किया जायेगा।

fd;kUo;u ifd;k&

स्टेप–1 हॉफेड द्वारा कोर बैंकिंग प्रदाता बैंक में केन्द्रीयकृत खाता खोला जायेगा। खाता खोलने हेतु उस बैंक को वरीयता दी जायेगी जिसकी शाखायें जिला स्तर पर कार्यरत हों तथा बेहतर सुविधायें प्रदान की जा सकें व कोर बैंक के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरण पर कम से कम चार्ज लगाये। औद्यानिक सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों की याचित मॉग के सापेक्ष मूल्य धनराशि हॉफेड के केन्द्रीयकृत बैंक एकाउन्ट में स्थानीय ब्रान्च में जमा की जायेगी। इसके अतिरिक्त सीधे संघ कार्यालय में आकर बैंक ड्राफ्ट/कैश धनराशि जमा किये जाने का प्राविधान प्रस्तावित है।

स्टेप–2 बैंक खाते में जमा करायी गयी धनराशि की रसीद एवं मॉग पत्र फैक्स द्वारा हॉफेड कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

स्टेप–3 स्थानीय बैंक द्वारा तत्काल जमा धनराशि केन्द्रीकृत बैंक में स्थानान्तरित की जायेगी।

स्टेप–4 समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमा रसीद की धनराशि का बैंक स्टेटमेंट से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा।

स्टेप–5 स्टेप–4 के सत्यापन के पश्चात हॉफेड द्वारा समिति की मॉग एवं उसके सापेक्ष प्रदायकर्ता को उर्वरक मूल्य धनराशि प्रेषित की जायेगी।

स्टेप–6 प्रदायकर्ता संस्थाओं द्वारा आर0ओ0 निर्गत किया जायेगा।

स्टेप–7 प्रदायकर्ता से प्राप्त आर0ओ0 की प्रति सम्बन्धित समिति को स्पीड पोस्ट सेवा/कोरियर सेवा अथवा बोर्ड–हैण्ड सेवा, जो भी मितव्ययी हो, द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

स्टेप–8 प्रदायकर्ता संस्थाओं के क्षेत्रीय कार्यालयों को समितियों द्वारा आर0ओ0 की प्रति उपलब्ध कराते हुए उर्वरकों की आपूर्ति प्राप्त की जायेगी।

उपर्युक्त प्रक्रिया को प्रचलित किये जाने से उर्वरक मॉग से आपूर्ति तक लगभग एक सप्ताह का समय ही लगेगा।

उक्त कार्य योजना के क्रियान्वयन के क्रम में आपूर्तित उर्वरक मात्रा के सापेक्ष प्रदायकर्ता संस्था से सर्विस चार्ज रू0 20.00 प्रति टन प्राप्त किया जायेगा तथा समिति जमानत राशि के रूप में रू0 5,000.00 हाफेड के पक्ष में देय होगा।

m0 iz0 jkT; vkS|kfud lgdkjh foi.ku la?k ¼gkQSM½

18– बी, अशोक मार्ग, लखनऊ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

moZjd 0;olk; gsrq vf/kdkj i= dh fy, ¼vkosnu i=½

दिनांक..................................

1- पंजीकरण संख्या :../पंजीकरण दिनांक ....
औद्यानिक समिति का पता–औद्यानिक/पुष्प उत्पादक सहकारी समिति लि0, ...
....

2- समिति अध्यक्ष का नाम :..
पता : ग्राम .... पो0 ....
वि0खं0 .... जिला ....
दूरभाष/मोबाईल..

3- समिति के सचिव का नाम :...
पता : ग्राम .... पो0 ....
वि0खं0 .... जिला ....
दूरभाष/मोबाईल..

4- औद्या0समिति के सदस्यों की संख्या : स्थायी .... अस्थायी......................................
5- औद्या0समिति के कर्मचारियों (कार्यकारिणी) के नाम : ....
....

6- औद्या0समिति का कार्य क्षेत्र का विवरण : 1...................................... 2............................
3................................4.........................5.............................6..................................7........................
8..................................9...........................10..............................11..................................12...............

7- औद्या0समिति के बैंक का नाम :..खाता सं0.....................................
8- उर्वरक विक्रय स्थल का पताः ग्राम ....पो0 ....
जिला ....दूरभाष/मोबाईल ....
9- उर्वरक विक्रय स्थल पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम :...
पदनाम... दूरभाष/मोबाईल ....
10- उर्वरक विक्रय स्थल की चौहद्दी : पूर्व...
पश्चिम ....
उत्तर ....
दक्षिण ....
11- औद्यानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति लि0 द्वारा अपने लेटर हेड पर आवेदन करते हुए यह फार्म भरकर संलग्न किया जायेगा।
12- संलग्नक : 1. साधारण सदस्यता रसीद की सत्यापित प्रति।
2. बैंक पासबुक की नवीनतम सत्यापित प्रति।
3. संचालक मण्डल के प्रस्ताव की सत्यापित प्रति।

....

हस्ताक्षर सील सहित

gkQM dh lnL;rk

हाफेड द्वारा निबन्धक, औद्यानिक सहकारी समितियॉ द्वारा पंजीकृत औद्यानिक सहकारी समितियों को रू0 1100 जमा कराकर सदस्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान में कुल पंजीकृत औद्यानिक सहकारी समितियों एवं जिला औद्यानिक सहकारी संघ (899) के सापेक्ष (501) समितियों द्वारा हाफेड की सदस्यता ग्रहण की जा चुकी है। हाफेड की साधारण सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रारूप एवं दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1& gkQM dh lk/kkj.k lnL;rk ikIr djus gsrq vko';d i=i= ,oa vkSipkfjdrk,a

अ– साधारण सदस्यता हेतु अनुरोध–पत्र (प्रबन्ध निदेशक, हाफेड, लखनऊ)

ब– साधारण सदस्यता हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन

स– निबन्धन प्रमाण–पत्र की सचिव द्वारा सत्यापित छायाप्रति

द– हाफेड की साधारण सदस्यता ग्रहण करने हेतु रू0 1100 जमा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही रजिस्टर में संचालक मण्डल के सदस्यों के प्रस्ताव की सचिव द्वारा सत्यापित छायाप्रति ।

य– समिति कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रपत्र की सचिव द्वारा सत्यापित छायाप्रति

र– समिति के चुनाव की स्थिति।

हॉफेड की सदस्यता ग्रहण करने हेतु आवेदन का प्रारूप नीचे दिया गया है।

m0 i0 jkT; vk|kfud lgdkjh foi.ku l?k ¼gkQM½

18– बी, अशोक मार्ग, लखनऊ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

gkQM dh lk/kkj.k lnL;rk grq vkonu i=

Øl	fo"k;	fooj.k
1.	प्रार्थना पत्र देने की तिथि	दिनांक–
2.	सहकारी समिति का नाम व पता	औद्यानिक /पुष्प उत्पादक सहकारी समिति लि0 ग्राम– पोस्ट– वि0खं0– जिला–
3.	मोबाइल नं0	अध्यक्ष :.. सचिव :..
4.	समिति पंजीकरण विवरण	संख्या– दिनांक–
5.	समिति के संचालक मण्डल का साधारण सभा के प्रस्ताव की संख्या व तिथि (प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाय)	प्रस्ताव संख्या– दिनांक– छायाप्रति संलग्न (हॉ/नहीं)
6.	हिस्सों की संख्या जो समिति चाहती है। प्रवेश शुलक रू0 100/– एवं प्रत्येक हिस्से (अंशदान) का मूल्य रू0 1000/– जो ड्राफ्ट /नगद देय होगा। प्रार्थना पत्र के साथ देना होगा।	
7.	समिति उक्त संघ के वर्तमान रजिस्ट्री शुदा उपविधियों से बाध्य रहेगी तथा उक्त रजिस्ट्रेशनशुदा संशोधनों एवं परिवर्तनों से भी बाध्य रहेगी जो इसकी सदस्यता की अवधि में को–आपरेटिव एक्ट के अनुसार किये जायेंगे।	
8.	संलग्नक	1. प्रबन्ध कमेटी का प्रस्ताव 2. घोषणा पत्र 3. बैंक ड्राफ्ट/नगद
	समिति सभापति के हस्ताक्षर व मोहर	समिति के सचिव के हस्ताक्षर व मोहर

m0i0 jkT; vk|kfud lgdkjh foi.ku l?k ¼gkQM½

1.	संचालक मण्डल के प्रस्ताव की संख्या व तिथि जिसमें उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकृत हुआ हो।	
2.	निर्धारित किये गये हिस्सों की संख्या नियतन संख्या	

प्रपत्र – (क)
घोषणा पत्र
(नियम–48 के अधीन)

उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड), लखनऊ का सदस्य बनाने हेतु औद्यानिक/पुष्प उत्पादक सहकारी समिति लि0 ग्राम– .....
पो0–.....वि0खं0–.....जनपद–.....
द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के संदर्भ में श्री/श्रीमती.....पदनाम.....
...एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैने हाफेड की वर्तमान की उपविधियों तथा अन्य नियमों का अध्ययन कर लिया है और मैं उनसे सहमत हूँ। मैं अपनी समिति की ओर से यह घोषित करता हूँ कि हाफेड की वर्तमान उपविधियॉ तथा विनियम और समय–समय पर दिये गये संशोधन एवं परिवर्तन हमारी समिति को मान्य होंगे तथा उनके परिपालन हेतु हमारी समिति सदस्यता काल में आबद्ध रहेगी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर (सचिव)
समिति का सील

साक्षी :–

(1) 1. हस्ताक्षर .....
2. नाम श्री/श्रीमती .....
3. पिता/पति .....
4. पूरा पता – ग्राम .....
पोस्ट .....
जिला .....
मोबाइल नं0 .....

(2) 1. हस्ताक्षर .....
2. नाम श्री/श्रीमती .....
3. पिता/पति .....
4. पूरा पता – ग्राम .....
पोस्ट .....
जिला .....
मोबाइल नं0 .....